रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266409
CG-DL-E-25092025-266409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4193] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
No. 4193] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4311(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (मेरठ-नजीबाबाद खण्ड) के कि.मी. 65.700 से कि.मी. 112.575 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बिजनौर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-119 (मेरठ-नजीबाबाद खण्ड) के कि.मी. 65.700 से कि.मी. 112.575 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बिजनौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिजनौर					
गांव का नाम: स्वाहेड़ी खुर्द					
1	1247	निजी (निजी)	कृषि	1057 (वर्ग मीटर)	0.1057
गांव का नाम: फरीदपुर मीरा					
2	314	निजी (निजी)	अकृषिक	100 (वर्ग मीटर)	0.01
3	384	निजी (निजी)	कृषि	1186 (वर्ग मीटर)	0.1186
4	385	निजी (निजी)	कृषि	1874 (वर्ग मीटर)	0.1874
5	386	निजी	कृषि	170 (वर्ग मीटर)	0.017
6	405	निजी (निजी)	कृषि	395 (वर्ग मीटर)	0.0395
7	423	निजी (निजी)	कृषि	755 (वर्ग मीटर)	0.0755
8	426	निजी (निजी)	कृषि	1972 (वर्ग मीटर)	0.1972
गांव का नाम: तरीकमपुर रूपचन्द					
9	892	निजी (निजी)	कृषि	1060 (वर्ग मीटर)	0.106
10	893	निजी (निजी)	कृषि	38 (वर्ग मीटर)	0.0038
11	894	निजी (निजी)	कृषि	41 (वर्ग मीटर)	0.0041
12	895	निजी (निजी)	कृषि	52 (वर्ग मीटर)	0.0052
गांव का नाम: बिजनौर अहतमाली					
13	22	निजी (निजी)	कृषि	1600 (वर्ग मीटर)	0.16
14	24/1 M	निजी (निजी)	कृषि	1300 (वर्ग मीटर)	0.13
गांव का नाम: फरीदपुर काजी					
15	154	निजी (निजी)	कृषि	301 (वर्ग मीटर)	0.0301
16	155	निजी (निजी)	कृषि	20 (वर्ग मीटर)	0.002
17	157	निजी (निजी)	कृषि	50 (वर्ग मीटर)	0.005

18	158	निजी (निजी)	कृषि	55 (वर्ग मीटर)	0.0055
19	168	निजी (निजी)	कृषि	60 (वर्ग मीटर)	0.006
20	172	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	380 (वर्ग मीटर)	0.038
21	174	निजी (निजी)	कृषि	78 (वर्ग मीटर)	0.0078
22	175	निजी (निजी)	कृषि	460 (वर्ग मीटर)	0.046
23	177	निजी (निजी)	कृषि	704 (वर्ग मीटर)	0.0704
24	178	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	519 (वर्ग मीटर)	0.0519
25	179	निजी (निजी)	कृषि	400 (वर्ग मीटर)	0.04
26	180	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	438 (वर्ग मीटर)	0.0438
27	181	निजी (निजी)	कृषि	100 (वर्ग मीटर)	0.01
28	182	निजी (निजी)	कृषि	360 (वर्ग मीटर)	0.036
29	189	निजी (निजी)	कृषि	175 (वर्ग मीटर)	0.0175
30	193K	निजी (निजी)	कृषि	10 (वर्ग मीटर)	0.001
31	194K	निजी (निजी)	कृषि	493 (वर्ग मीटर)	0.0493
32	195	निजी (निजी)	कृषि	173 (वर्ग मीटर)	0.0173
33	252	निजी (निजी)	कृषि	20 (वर्ग मीटर)	0.002
34	254	निजी (निजी)	कृषि	120 (वर्ग मीटर)	0.012
35	255	निजी (निजी)	कृषि	50 (वर्ग मीटर)	0.005
36	258	निजी (निजी)	कृषि	70 (वर्ग मीटर)	0.007
37	263	निजी (निजी)	कृषि	242 (वर्ग मीटर)	0.0242
38	265	निजी (निजी)	कृषि	24 (वर्ग मीटर)	0.0024
39	266	निजी (निजी)	कृषि	30 (वर्ग मीटर)	0.003
40	269	निजी (निजी)	कृषि	31 (वर्ग मीटर)	0.0031
41	270	निजी (निजी)	कृषि	90 (वर्ग मीटर)	0.009
42	271	निजी (निजी)	कृषि	148 (वर्ग मीटर)	0.0148
43	279	निजी (निजी)	कृषि	250 (वर्ग मीटर)	0.025
44	285	निजी (निजी)	कृषि	12 (वर्ग मीटर)	0.0012
45	286	निजी (निजी)	कृषि	35 (वर्ग मीटर)	0.0035
46	288	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	790 (वर्ग मीटर)	0.079
47	296	निजी (निजी)	कृषि	1496 (वर्ग मीटर)	0.1496
48	297	निजी (निजी)	कृषि	545 (वर्ग मीटर)	0.0545
49	298	निजी (निजी)	कृषि	392 (वर्ग मीटर)	0.0392

50	299	निजी (निजी)	कृषि	1046 (वर्ग मीटर)	0.1046
51	318	निजी (निजी)	कृषि	286 (वर्ग मीटर)	0.0286
52	324	निजी (निजी)	कृषि	40 (वर्ग मीटर)	0.004
53	325	निजी (निजी)	कृषि	290 (वर्ग मीटर)	0.029
54	326	निजी (निजी)	कृषि	120 (वर्ग मीटर)	0.012
55	331	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	442 (वर्ग मीटर)	0.0442
56	332	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	45 (वर्ग मीटर)	0.0045
57	333	निजी (निजी)	कृषि	1060 (वर्ग मीटर)	0.106
58	336	निजी (निजी)	कृषि	300 (वर्ग मीटर)	0.03
59	337	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	440 (वर्ग मीटर)	0.044
60	338	निजी (निजी)	कृषि/अकृषिक	680 (वर्ग मीटर)	0.068
61	343	निजी (निजी)	कृषि	30 (वर्ग मीटर)	0.003
62	344	निजी (निजी)	कृषि	45 (वर्ग मीटर)	0.0045
63	345	निजी (निजी)	कृषि	45 (वर्ग मीटर)	0.0045
64	346	निजी (निजी)	कृषि	52 (वर्ग मीटर)	0.0052
65	347	निजी (निजी)	कृषि	35 (वर्ग मीटर)	0.0035
66	960	निजी (निजी)	कृषि	1510 (वर्ग मीटर)	0.151
गांव का नाम: झकड़ी बंगर					
67	366	निजी (निजी)	कृषि	2 (वर्ग मीटर)	0.0002
68	366/705	निजी (निजी)	कृषि	1022 (वर्ग मीटर)	0.1022
69	368	निजी (निजी)	अकृषिक	88 (वर्ग मीटर)	0.0088
गांव का नाम: इस्लामपुरदास					
70	350	निजी (निजी)	कृषि	102 (वर्ग मीटर)	0.0102
71	352	निजी (निजी)	कृषि	245 (वर्ग मीटर)	0.0245
72	353	निजी (निजी)	कृषि	66 (वर्ग मीटर)	0.0066
73	354	निजी (निजी)	कृषि	44 (वर्ग मीटर)	0.0044
74	355	निजी (निजी)	एग्रीकल्चर	40 (वर्ग मीटर)	0.004
75	373	निजी (निजी)	अकृषिक	150 (वर्ग मीटर)	0.015
गांव का नाम:					
76	148	निजी (निजी)	कृषि	82 (वर्ग मीटर)	0.0082
77	149	निजी (निजी)	कृषि	44 (वर्ग मीटर)	0.0044
78	159	निजी (निजी)	कृषि	64 (वर्ग मीटर)	0.0064

गांव का नाम: तैमूरपुर					
79	293	निजी (निजी)	कृषि	49 (वर्ग मीटर)	0.0049
80	294	निजी (निजी)	कृषि	70 (वर्ग मीटर)	0.007
81	432	निजी (निजी)	कृषि	23 (वर्ग मीटर)	0.0023
82	433	निजी (निजी)	कृषि	391 (वर्ग मीटर)	0.0391
83	453	निजी (निजी)	कृषि	1837 (वर्ग मीटर)	0.1837
84	468	निजी (निजी)	कृषि	50 (वर्ग मीटर)	0.005
गांव का नाम: चिचरौली बंगर					
85	125	निजी (निजी)	कृषि	54 (वर्ग मीटर)	0.0054
86	126	निजी (निजी)	कृषि	177 (वर्ग मीटर)	0.0177
87	93	निजी (निजी)	कृषि	39 (वर्ग मीटर)	0.0039
गांव का नाम: रसूलपुर पृथी					
88	98	निजी (निजी)	कृषि	325 (वर्ग मीटर)	0.0325
गांव का नाम: बिजनौर					
89	18/1	निजी (निजी)	कृषि	100 (वर्ग मीटर)	0.01
90	18/2	निजी (निजी)	कृषि	20 (वर्ग मीटर)	0.002
91	19/2	निजी (निजी)	कृषि	500 (वर्ग मीटर)	0.05
92	23/2	निजी (निजी)	कृषि	114 (वर्ग मीटर)	0.0114
93	52	निजी (निजी)	कृषि	190 (वर्ग मीटर)	0.019
94	56/1	निजी (निजी)	कृषि	117 (वर्ग मीटर)	0.0117
95	64	निजी (निजी)	कृषि	173 (वर्ग मीटर)	0.0173
96	69/1	निजी (निजी)	कृषि	435 (वर्ग मीटर)	0.0435
97	69/2	निजी (निजी)	कृषि	260 (वर्ग मीटर)	0.026
गांव का नाम: मुर्तजापुर बुलाकी					
98	90	निजी (निजी)	कृषि	1137 (वर्ग मीटर)	0.1137
				Total	**3.5197**

[फा. सं. NHAI/66011/LA/NOTIF/2017/PIU-Meerut/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4311(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-119 (Meerut-Najibabad Section) in the stretch of land from Km. 65.700 to Km. 112.575 in the district of BIJNOR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Bijnor in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-119 (Meerut-Najibabad) in the stretch of land from Km. 65.700 to Km. 112.575 in the district of BIJNOR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			**District: BIJNOR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Bijnor					
Village: Swahedi Khurd					
1	1247	Private	Agriculture	1057 (Square Meter)	0.1057
Village: Fareedpur Meera					
2	314	Private	Non Agriculture	100 (Square Meter)	0.01
3	384	Private	Agriculture	1186 (Square Meter)	0.1186
4	385	Private	Agriculture	1874 (Square Meter)	0.1874
5	386	Private	Agriculture	170 (Square Meter)	0.017
6	405	Private	Agriculture	395 (Square Meter)	0.0395
7	423	Private	Agriculture	755 (Square Meter)	0.0755
8	426	Private	Agriculture	1972 (Square Meter)	0.1972
Village: Tarkampur Rupchand					
9	892	Private	Agriculture	1060 (Square Meter)	0.106

10	893	Private	Agriculture	38 (Square Meter)	0.0038
11	894	Private	Agriculture	41 (Square Meter)	0.0041
12	895	Private	Agriculture	52 (Square Meter)	0.0052
Village: Bijnor Ahatmali					
13	22	Private	Agriculture	1600 (Square Meter)	0.16
14	24/1 M	Private	Agriculture	1300 (Square Meter)	0.13
Village: Faridpur Kaji					
15	154	Private	Agriculture	301 (Square Meter)	0.0301
16	155	Private	Agriculture	20 (Square Meter)	0.002
17	157	Private	Agriculture	50 (Square Meter)	0.005
18	158	Private	Agriculture	55 (Square Meter)	0.0055
19	168	Private	Agriculture	60 (Square Meter)	0.006
20	172	Private	Agriculture/Non Agriculture	380 (Square Meter)	0.038
21	174	Private	Agriculture	78 (Square Meter)	0.0078
22	175	Private	Agriculture	460 (Square Meter)	0.046
23	177	Private	Agriculture	704 (Square Meter)	0.0704
24	178	Private	Agriculture/Non Agriculture	519 (Square Meter)	0.0519
25	179	Private	Agriculture	400 (Square Meter)	0.04
26	180	Private	Agriculture/Non Agriculture	438 (Square Meter)	0.0438
27	181	Private	Agriculture	100 (Square Meter)	0.01
28	182	Private	Agriculture	360 (Square Meter)	0.036
29	189	Private	Agriculture	175 (Square Meter)	0.0175
30	193K	Private	Agriculture	10 (Square Meter)	0.001
31	194K	Private	Agriculture	493 (Square Meter)	0.0493
32	195	Private	Agriculture	173 (Square Meter)	0.0173
33	252	Private	Agriculture	20 (Square Meter)	0.002
34	254	Private	Agriculture	120 (Square Meter)	0.012
35	255	Private	Agriculture	50 (Square Meter)	0.005
36	258	Private	Agriculture	70 (Square Meter)	0.007
37	263	Private	Agriculture	242 (Square Meter)	0.0242
38	265	Private	Agriculture	24 (Square Meter)	0.0024
39	266	Private	Agriculture	30 (Square Meter)	0.003
40	269	Private	Agriculture	31 (Square Meter)	0.0031
41	270	Private	Agriculture	90 (Square Meter)	0.009
42	271	Private	Agriculture	148 (Square Meter)	0.0148
43	279	Private	Agriculture	250 (Square Meter)	0.025

44	285	Private	Agriculture	12 (Square Meter)	0.0012
45	286	Private	Agriculture	35 (Square Meter)	0.0035
46	288	Private	Agriculture/Non Agriculture	790 (Square Meter)	0.079
47	296	Private	Agriculture	1496 (Square Meter)	0.1496
48	297	Private	Agriculture	545 (Square Meter)	0.0545
49	298	Private	Agriculture	392 (Square Meter)	0.0392
50	299	Private	Agriculture	1046 (Square Meter)	0.1046
51	318	Private	Agriculture	286 (Square Meter)	0.0286
52	324	Private	Agriculture	40 (Square Meter)	0.004
53	325	Private	Agriculture	290 (Square Meter)	0.029
54	326	Private	Agriculture	120 (Square Meter)	0.012
55	331	Private	Agriculture/Non Agriculture	442 (Square Meter)	0.0442
56	332	Private	Agriculture/Non Agriculture	45 (Square Meter)	0.0045
57	333	Private	Agriculture	1060 (Square Meter)	0.106
58	336	Private	Agriculture	300 (Square Meter)	0.03
59	337	Private	Agriculture/Non Agriculture	440 (Square Meter)	0.044
60	338	Private	Agriculture/Non Agriculture	680 (Square Meter)	0.068
61	343	Private	Agriculture	30 (Square Meter)	0.003
62	344	Private	Agriculture	45 (Square Meter)	0.0045
63	345	Private	Agriculture	45 (Square Meter)	0.0045
64	346	Private	Agriculture	52 (Square Meter)	0.0052
65	347	Private	Agriculture	35 (Square Meter)	0.0035
66	960	Private	Agriculture	1510 (Square Meter)	0.151
Village: Zakadi Bangar					
67	366	Private	Agriculture	2 (Square Meter)	0.0002
68	366/705	Private	Agriculture	1022 (Square Meter)	0.1022
69	368	Private	Non Agriculture	88 (Square Meter)	0.0088
Village: Islampurdass					
70	350	Private	Agriculture	102 (Square Meter)	0.0102
71	352	Private	Agriculture	245 (Square Meter)	0.0245
72	353	Private	Agriculture	66 (Square Meter)	0.0066
73	354	Private	Agriculture	44 (Square Meter)	0.0044
74	355	Private	Agriculture	40 (Square Meter)	0.004
75	373	Private	Non Agriculture	150 (Square Meter)	0.015
Village: Islampur Dippa					

76	148	Private	Agriculture	82 (Square Meter)	0.0082
77	149	Private	Agriculture	44 (Square Meter)	0.0044
78	159	Private	Agriculture	64 (Square Meter)	0.0064
Village: Taimurpur					
79	293	Private	Agriculture	49 (Square Meter)	0.0049
80	294	Private	Agriculture	70 (Square Meter)	0.007
81	432	Private	Agriculture	23 (Square Meter)	0.0023
82	433	Private	Agriculture	391 (Square Meter)	0.0391
83	453	Private	Agriculture	1837 (Square Meter)	0.1837
84	468	Private	Agriculture	50 (Square Meter)	0.005
Village: Chinchrauli Bangar					
85	125	Private	Agriculture	54 (Square Meter)	0.0054
86	126	Private	Agriculture	177 (Square Meter)	0.0177
87	93	Private	Agriculture	39 (Square Meter)	0.0039
Village: Rasulpur Prithi					
88	98	Private	Agriculture	325 (Square Meter)	0.0325
Village: Bijnor					
89	18/1	Private	Agriculture	100 (Square Meter)	0.01
90	18/2	Private	Agriculture	20 (Square Meter)	0.002
91	19/2	Private	Agriculture	500 (Square Meter)	0.05
92	23/2	Private	Agriculture	114 (Square Meter)	0.0114
93	52	Private	Agriculture	190 (Square Meter)	0.019
94	56/1	Private	Agriculture	117 (Square Meter)	0.0117
95	64	Private	Agriculture	173 (Square Meter)	0.0173
96	69/1	Private	Agriculture	435 (Square Meter)	0.0435
97	69/2	Private	Agriculture	260 (Square Meter)	0.026
Village: Murtajapur Bulaki					
98	90	Private	Agriculture	1137 (Square Meter)	0.1137
				Total	**3.5197**

[F. No. NHAI/66011/LA/NOTIF/2017/PIU-Meerut/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.25 19:51:30 +05'30'